न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री दाताराम आर.ए.एस.)

GCMS NO-2019/00026

प्रकरण संख्या : 17/2019

प्रार्थी		**अप्रार्थीगण**
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।	**बनाम**	1. श्री हरीश कुमार राठी पुत्र श्री राणीदान उम्र 29 वर्ष जाति राठी निवासी मूल निवासी मु0 पो0 रातडिया तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर। 2. मैसर्स शुभम किराणा स्टोर, मेन बाजार, रातडिया तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर। 3. मैसर्स हीरा ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टैण्ड, बस्तवा जिला जोधपुर।

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी सं. 01व 03 की ओर से अधिवक्ता दुर्गेश आचार्य।

:: निर्णय :: **दिनांक: 18.10.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.09.2016 को 11.00 एएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स श्री शुभम किराणा स्टोर, मेन बाजार, रातडिया तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर पर पहुचें निरीक्षण के दौरान मौके पर वहां दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री हरीश कुमार राठी पुत्र श्री राणीदान उम्र 29 वर्ष जाति राठी निवासी मूल निवासी मु0 पो0 रातडिया तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर(राज.) कारोबार कर रहा था उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया। प्रार्थी के निरीक्षण में निरीक्षणार्थ दुकान में हल्दी पाउडर शर्मा जी ब्राण्ड को खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था, शुद्वता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात हल्दी पाउडर शर्मा जी ब्राण्ड लगभग 500–500 ग्राम की पॉलीपैक नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 480 रुपये नकद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त

18/10/22

Scanned with CamScanner

की जो संलग्न है। विक्रेता ने मौके पर उक्त माल खरीद बिल की प्रमाणित प्रति मौके पर दी जो मैसर्स हीरा ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टैण्ड, बस्तवा जिला जोधपुर प्रमाणित बिल द्वारा खरीद होना बताया जिसकी प्रति संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा हल्दी पाउडर शर्मा जी ब्राण्ड के चार नमूनें लिये प्रत्येक को पैक डिब्बों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलो पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन–619 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–619 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–619 हल्दी पाउडर शर्मा जी ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 8 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को विजयकान्त गौतम के द्वारा दिनांक 16.09.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 17.09.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/25104–07 दिनांक 18.10.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1137/Act/2016/1147 दिनांक 06.10.2016 अनुसार उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन–619/ के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता श्री हरीश कुमार राठी पुत्र श्री राणीदान उम्र 29 वर्ष जाति राठी निवासी मूल निवासी मु0 पो0 रातडिया तहसील

18/7/22

Scanned with CamScanner

भणियाणा, जिला जैसलमेर(राज.) (प्रोपराईटर) मैसर्स श्री शुलभ किराणा स्टोर, मेन बाजार रातडिया तह. भणियाणा जिला जैसलमेर ने मिथ्याछाप हल्दी पाउडर शर्मा जी ब्राण्ड का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01 की ओर से निम्न जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा हल्दी पाउडर शर्मा जी ब्राण्ड का सेम्पल लिया गया जो मेरे द्वारा मैसर्स हीरा ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टैण्ड, बस्तवा जिला जोधपुर से खरीदा गया था मेरे द्वारा हल्दी पाउडर शर्मा जी ब्राण्ड पेंकिग अवस्था में लिया गया उसी अवस्था में दुकान में रखा गया था। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी सं. 02 की ओर से न्यायहित में कई अवसर देने के उपरांत भी कोई जवाब नहीं दिया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं L.S./1137/Act/2016/1147 दिनांक 06.10.2016 के अनुसार हल्दी पाउडर शर्मा जी ब्राण्ड खाद्य पदार्थ का उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण पर मिथ्याछाप स्तर के हल्दी पाउडर शर्मा जी ब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री हरीश कुमार राठी पुत्र श्री राणीदान उम्र 29 वर्ष जाति राठी निवासी मूल निवासी मु0 पो0 रातडिया तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर फर्म के प्रोपराईटर अप्रार्थी सं. 02 मैसर्स शुभम किराणा स्टोर, मेन बाजार, रातडिया तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर फर्म के प्रोपराईटर व अप्रार्थी सं. 03 मैसर्स हीरा रातडिया तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टैण्ड, बस्तवा जिला जोधपुर फर्म के प्रोपराईटर पर मिथ्याछाप स्तर का हल्दी पाउडर शर्मा जी ब्राण्ड खाद्य पदार्थ विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी सं. 01 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये अप्रार्थी सं. 02 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये व अप्रार्थी सं. 03 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये से कुल 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को

Sd/- 18/7/22

Scanned with CamScanner

निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/10/22

(दाताराम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned with CamScanner